सं०सं०:– निग/सारा–02–विविध–180/2009 4514(S) 01/12/2025

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

श्री सिंगराय टूटी, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, राँची सम्प्रति सेवानिवृत मुख्य अभियंता के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पद संख्या–33 से मेगा स्पोर्ट्स कम्पलेक्स, होटवार तक 6 लेन पहुंच पथ के निर्माण कार्य में गंभीर कर्तव्यहीनता एवं अनियमितताओं के लिए अधिसूचना सं0– 5777(S) दिनांक– 12.11.2009 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध संकल्प संख्या– 2514(S)WE दिनांक– 12.05.2010 द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही चलाई गई।

(2) उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री टूटी पर लगे अधिकांश आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। फलतः जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उससे सहमत होते हुए विभाग द्वारा श्री टूटी से "सेवा से बर्खास्तगी" को दण्ड के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक– 2264(S)WE दिनांक– 20.04.2011 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

(3) श्री टूटी द्वारा कारण पृच्छा का जवाब पत्र दिनांक– 02.07.2011 द्वारा समर्पित किया गया। श्री टूटी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी के जांच निष्कर्ष के समीक्षोपरांत इन्हें तत्काल प्रभाव से निलबंन मुक्त करते हुए अधिसूचना संख्या– 8322(S) दिनांक– 14.12.2011 द्वारा श्री टूटी के विरूद्ध निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः–

(i) उन्हें वेतनमान के प्रथम प्रक्रम पर पदावनत किया जाता है।

(ii) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम– 97 के तहत् उन्हें निलंबन के रूप में बितायी गयी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगा।

(4) इस प्रकार श्री टूटी दिनांक– 12.11.2009 से दिनांक– 14.12.2011 तक निलंबित रहे।

(5) उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री टूटी द्वारा अपील अभ्यावदेन दिनांक– 11.06.2012 समर्पित किया गया, जिसे समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–5707(S) दि0–17.06.2013 द्वारा **अस्वीकृत** किया गया।

(6) उक्त दण्ड अधिसूचना एवं अपील अस्वीकृति संबंधी अधिसूचना के विरूद्ध श्री टूटी द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद सं0– W.P.(S) No- 2435/2017 दायर किया गया, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 21.01.2020 को आदेश पारित किया गया।

(7) W.P.(S) No. 2435/2017 में दिनांक– 21.01.2020 को पारित आदेश के आलोक में श्री टूटी द्वार समर्पित पक्ष के समीक्षोपरांत सकारण आदेश संख्या– 3401(S) दिनांक– 19.09.2022 द्वारा इनके विरूद्ध अधिसूचना संख्या– 8322(S), दिनांक– 14.12.2011 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निम्नवत् **परिमार्जित** किया गया हैः–

(क) पूर्व में **दिये गये दण्ड की तिथि** से दो वार्षिक वेतन वृद्धि का संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ख) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–97 के तहत् निलंबन के रूप में बितायी गयी अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगी।

इसी क्रम में श्री टूटी के निलंबन अवधि दिनांक– 12.11.2009 से दिनांक– 14.12.2011 तक को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम– 97(ख) के तहत् मात्र पेंशनादि लाभ हेतु कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में परिगणित करने का निर्णय लिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

02/12/2025

(प्रिसिल्ला मुर्मू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

02/12/25

ज्ञापांक : निग/सारा –02–विविध–180/2009...4514(S) **रांची, दिनांक :–** 02/12/2025

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय ई0 गजट नोडल पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/12/2025

सरकार के संयुक्त सचिव।

02/12/25